<u>समाहरणालय नवादा</u>

<u>कार्यालय जिला पदाधिकारी, नवादा।</u>

वित्तीय वर्ष 2017—18 में मानसून को ध्यान में रखते हुए नवादा जिलान्तर्गत संभावित/वाढ़ सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों में पशु शिविर के लिए पशु चारा यथा गेहुँ भूसा एवं कुटटी,पुआलद्व की आवश्यकता है। प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर 5 बजे अपराहन तक मुहरबंद निविदा दिलिफाफा पद्वति के अधार पर आमत्रित की जाती है। सील बंद लिफाफा के उपर तकनीकि निविदा तथा वितीय निविदा अंकित कर इन दोनों लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद किया होना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा निविदा निवंधित/स्पीड पोस्ट / कोरियर/हाथों हाथ जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यालय नवादा पिन — 805010 में प्राप्त की जायेगी। नवादा संस्करण में प्रकाशन के 15 दिन के बाद अगले कार्य दिवस को जिला क्रय समति के समक्ष जिला समाहरणालय नवादा में अपराहन 2:00 बजे निविदा खोला जायेगा। निविदा खोलने का समय निविदाकर्ता स्वय या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। आपूर्तिआदेश आवंटन के उपलब्धता के पश्चात आवश्यकतानुसार दिया जायेगा।

निविदा की शर्ते — (क) निविदा की तकनीकि शर्तेः—

1 निविदा के साथ रूपये 1000,00 (एक हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा के नाम से देय अग्रधन राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इस निविदा में असफल घोषित निविदादाता को उक्त ड्राफ्ट निर्णय के पश्चात तुरंत वापस कर दी जायेगी।

2 निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में मुहरबन्द हो एवं उसपर नाम पता तथा मोबाईल नम्बर अंकित का निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।

3 निविदा के समय आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति देना आवश्यक है।

4 निविदाता/आपूर्तिकर्त्ता को बिहार राज्य में वाणिज्य कर मे निबंधन का प्रमाण देना होगा।

5 निविदाता/आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में नाम दर्ज नही होने से संबंधीत शपत पत्र देना होगा।

6 आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ किये गये नमूना के आधार पर नही होने पर आपूर्ति नही ली जायेगी। आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा बिल्कुल साफ एवं उत्तम चाहिए।

7 अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी रहेगी।

8 आपूर्तिआदेश के अनुसार चारा की आपूर्ति की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी को देनी होगी।

9 निविदा समिति को बिना कारण बताये निविदा रद्व करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10 निविदा सूचना को वेबसाइट <u>www.ahd.bih.nic.in/www.nawada.bih.nic.in</u> पर देखा जा सकता है।

(ख) निविदा की वित्तीय शर्ते

1 नवादा जिलान्तर्गत किसी भी प्रखण्ड के राहत शिविर तक चारा पहुँचाकर तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विटल दर गेहुँ भूसा एवु कुटटी,पुआलद्व हेतु अलग—अलग अंकित करना अनिवार्य है।

2 अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी रहेगी।

3 अकिंतदर के अलावा अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय आदि) देय नही होगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
नवादा।